

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 513] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 9, 1982/कार्तिक 18, 1904
No 513] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 9, 1982/KARTIKA 18, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 1982

का० आ० 790(अ).—केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 85) की धारा 18 कक्ष की उपधारा (1) के खंड (ब) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) की अधिसूचना सं० का० आ० 734 (अ)/18कक्ष आई की धारा 81 तारीख 12 अक्टूबर, 1982 का भिन्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश के पैरा 1 के उपपैरा 6(ii) में “30 दिन” शर्कों और शब्द के स्थान पर “6 मास” शर्क और शब्द रखे जाएंगे।

[फा० सं० 3(1)/82-सी यू.एस.]

ए० पी० सरवन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 9th November, 1982

S O 734(E)—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following amendment in the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S O. 734 (E)/18AA/IDRA/81, dated the 12th October, 1982, namely :—

In the said Order in sub-paragraph 6(ii) of paragraph 1 for the figures and words "30 days" the figure and words "6 months" shall be substituted.

[F. No 3(1)/82-CUS]
A P SARWAN, Joint Secy.